

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(01)शिक्षा-2/2018 दिनांक: 18.05.2018 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 31.05.2018 द्वारा श्री रत्नाकर गौड़, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबिच, फागी, जिला जयपुर की राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्ति की गयी थी।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(45)शिक्षा-2/2023-08476 दिनांक: 13.07.2023 की पालना में उक्त कार्मिक श्री रत्नाकर गौड़, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III की राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद पर की गयी प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए संबंधित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि श्री रत्नाकर गौड़, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III को अविलम्ब आगामी पदस्थापन हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जयपुर के लिए कार्यमुक्त कर, पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(काना राम)

आई.एस.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13406/सामान्य प्रतिनियुक्ति/2016 दिनांक: 19-07-2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिक के कार्यग्रहण करने के पश्चात जिले में रिक्त पद पर पदस्थापन करें।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
7. संबंधित नियंत्रक अधिकारी।
8. संबंधित कार्मिक श्री रत्नाकर गौड़, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.18 12:35:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4316778

